न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 145/2023 निर्णय दिनांक 28-4-2025
जीसीएमएस नम्बर 2023/296

1. सुखी पुत्री गौरां पत्नी स्व. लालूराम जाति मेघवाल निवासिनी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादिनी—

बनाम

1. स्व. गौरा पत्नी स्व. लालूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकोनर।
2. रामू
3. हड़मान | पुत्रगण नारायण जाति मेघवाल निवासीगण मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—
1. श्री साजिद खान अभिभाषक वादी।
2. श्री प्रकाश राजपुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
4. श्री राजूराम जाखड़ अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 5

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि वादिनी की ओर से दावा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के आपस में रिश्तेदार लगते है जो गांव मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के स्थायी निवासीगण है। खेत खसरा नम्बर 115 तादादी 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 153 तादादी 33 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 193 तादादी 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 218 तादादी 26 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 237 तादादी 14 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 89 तादादी 7 बिस्वा कुल कीता 6 कुल तादादी 97 बीघा 15 बिस्वा वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी नारायण वल्द छोगा कौम चमार निवासी मोमासर के नाम से रही है। नारायण की मृत्यु के बाद उक्त खसरा भूमि की खातेदारी विरास्तन तौर पर उनके पुत्र रामू व हड़मान के नाम से जरिये इन्तकाल संख्या 335 दिनांक 10.04.1971 को दर्ज हो गई। चूंकि छोगा के दो पुत्र पदमाराम व लालूराम भी हुए थे जो उक्त खेतों को संयुक्त रूप से काश्त करते थे परन्तु उक्त खेतों की खातेदारी भूलवंश केवल नारायण के नाम से ही दर्ज हो गई थी। नारायण की मृत्यु बाद नारायण की पत्नी गौरा (प्रतिवादी संख्या 1) ने लालूराम पुत्र छोगाराम से नाता कर लिया। वादिनी लालूराम की पुत्री है। लालूराम की भी मृत्यु हो चुकी है। खातेदार रामू, हड़मान, गौरा तथा पदमाराम के मध्य उक्त खेतों को लेकर आपसी सहमति बनी और उक्त खसरान भूमि की दुरूस्ती करवाई जिस पर नामान्तरण संख्या 1517 दिनांक 05.06.1993 के जरिये उपरोक्त खसरा नम्बर 89, 115, 153, 193, 218, 237 कुल तादादी 97 बीघा 15 बिस्वा भूमि में वादिनी के पिता लालूराम के हक हिस्सा की 1/3 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादिनी संख्या 1 के नाम से, 1/3 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम से तथा 1/3 हिस्सा की खातेदारी पदमाराम पुत्र छोगाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। इस प्रकार उपरोक्त खसरान भूमि में दर्ज 1/3 हिस्सा की खातेदारी जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है वह वादिनी की पैतृक कृषि भूमि है। दावा को भली भांति समझने हेतु वंशावली इस प्रकार से हैः— प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व उक्त पदमाराम पुत्र छोगाराम ने उपरोक्त खेतों का आपसी विभाजन करवा लिया जिस पर नामान्तरण संख्या 1678 दिनांक 04.12... के जरिये खसरा नम्बर 89, 115,

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:57:55 IST
Reason: SelfAttested

3
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

163, 237 कुल तादादी 60 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से पाति में आई व उक्त खसरान भूमि में 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई व शेष खसरा नम्बर 193, 218 कुल तादादी 37 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी उक्त पदमाराम पुत्र भोमाराम के नाम दर्ज हुई। कालान्तर में खसरा नम्बर 89 के नये खसरा नम्बर 124 तादादी 1.7700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 116 के नये खसरा नम्बर 164 तादादी 1.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 163 के नये खसरा नम्बर 247 तादादी 8.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 के नये खसरा नम्बर 376 तादादी 3.6300 हैक्टेयर कायम हुए। वादगत वर्तमान खेत खसरा नम्बर 124, 164, 247 व 376 कुल तादादी 15.1900 हैक्टेयर में वादिनी के पिता लालूराम का शुरू से ही 1/3 हिस्सा निहित रहा है। वादिनी के पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने बिलकुल ही गलत तरीके से उपरोक्त खसरान भूमि में 1/2 हिस्सा की खातेदारी केवल अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त खसरान भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से वादिनी का भी पैतृक तौर पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिस्सा बनता है। वादगत वर्तमान खेत खसरा नम्बर 124, 164, 247 व 376 कुल तादादी 15.1900 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर में वादिनी की माता गौरां प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के बाद पैतृक तौर पर वादिनी का 1/2 हिस्सा कानूनी रूप से बनता है जिसकी खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादिनी अपने नाम करवाने की अधिकारिणी है जिसके लिए यह घोषणात्मक दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत वर्तमान खेत खसरा नम्बर 124, 164, 247 व 376 कुल तादादी 15.1900 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर में वादिनी का 1/2 हिस्सा निहित है तथा जिसकी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर वादगत खसरान भूमि का खाता विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर करवाकर अपना लगान जुदा जुदा कायम करवाने की अधिकारिणी है जिसके लिए यह विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज खातेदारी का गलत रूप से नाजायज फायदा उठाकर वादगत खेतों में वर्णित 1/2 हिस्से की भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को विक्रय, हस्तान्तरण करने पर आमादा हो रही है व वादिनी के हक हिस्से की 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रही है । वादिनी को इस बात की जानकारी हुई तो वादिनी ने प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि वे वादिनी के पैतृक हक हिस्से की भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द, रहन – वहन नहीं करें तो दिनांक 30.10.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिनी को एलानियां तौर पर धमकियां दी कि वादगत खेत की भूमि को मैं हर हाल में विक्रय, हस्तान्तरण करके ही रहूंगी, तुझे इन खेतों में कोई पैतृक हक हिस्सा नहीं मिलेगा ना ही खेत में प्रवेश करने दूंगी, ना ही काश्त करने दूंगी व वादगत खेतों दर्ज अपने 1/2 हिस्से को जल्दी ही अन्य व्यक्ति को बेच दूंगी। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी है और पतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के बाद वादगत खेतों में वादिनी का 1/2 हिस्सा पैतृक तौर पर निहित हो चुका है । प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादगत खेतों को विधिवत रूप से विभाजन करवाये बिना ही विक्रय, हस्तान्तरण करने पर आमादा हो रहे है, ऐसी स्थिति में वादगत खेतों के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री हासिल करना आवश्यक हो गया है। वादगत खेत खसरा नम्बर 124, 164, 247 व 376 कुल तादादी 15.1800 हैक्टेयर बाकेरोही मोमासर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम चल रही है, जबकि वादगत खेतों में वादिनी का पैतृक तौर पर हक हिस्सा निहित है परन्तु वर्तमान में जमीनों के भाव बढ जाने के कारण प्रतिवादी सं. 2 व 3 के मनमें लालच पैदा हो गया है तथा वे लोगों के प्रभाव में आकर लालचवंश वादगत खेतों को आनन फानन में विक्रय, हस्तान्तरण करने पर तुले हुए है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 आपस में मिले हुए है और वादिनी को उसके पैतृक हक हिस्सा से वंचित कर देना चाहते है। वादिनी ने प्रतिवादी संख्या 4 से भी दिनांक 30.10.2023 को निवेदन किया कि वादगत खेतों के सम्बन्ध प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा किसी अन्य अजनबी व्यक्ति के नाम विक्रय, हस्तान्तरण पत्र प्रस्तुत होने पर उसको तस्दीक नहीं करें तो प्रतिवादी संख्या 4 ने वादिनी को कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया और कहा कि आप अदालत में कानूनी कार्यवाही करें, ऐसी स्थिति में वादिनी को अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:57:55 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादगत खेतों के सम्बन्ध में चिरनिषेधाज्ञा का दावा लाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रतिवादीगण ने वादगत खेतों में वादिनी के हक हिस्से की भूमि की खातेदारी को वादिनी के नाम करवाने से दिनांक 30.10.2023 को इन्कार कर दिया तथा वादगत खेतों को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय, हस्तान्तरण कर बेदखल करने की धमकियां दी है तथा वादगत खेतों का विभाजन करने से इन्कार कर दिया है इसलिए वादिनी को दिनांक 30.10.2023 को कॉज ऑफ एक्शन हासिल हुआ है तथा वादगत खेत वादिनी की पैतृक भूमि होने के कारण व वादिनी का हक हिस्सा निहित होने से वादिनी को वादाधार हासिल है। प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया गया है परन्तु कृषि भूमि के रिकार्ड का संधारण प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा किया जाता है तथा उक्त दावा कृषि भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति का है जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 आवश्यक पक्षकार है इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 को आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादिनी का दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर दो माह का नोटिस देकर इन्तजार किया गया तो प्रतिवादीगण अपने गलत मन्सूबों में सफल हो जावेगें व उस स्थिति में वादिनी को भारी क्षति होगी। प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय श्रीमान् से छूट प्राप्त कर न्यायालय की अनुमति से दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उपरोक्त खसरान भूमि में वर्णित अपने अपने दर्ज हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 5 के यहां रहन होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है जिसके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादिनी एवं प्रतिवादीगण के निवास स्थान की दृष्टि से व वादगत खेत रोही ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से श्रीमान्जी को वाद सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है। वादिनी का दावा उचित न्याय शुल्क पर हर तरह से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।अतः संशोधित दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री आज्ञप्त फरमाई जावे –

(क) कि घोषित किया जावे कि वादिनी वादगत खेत खसरा नम्बर 124 तादादी 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 तादादी 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 तादादी 8.55 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 376 तादादी 3.63 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर में पैतृक तौर पर वादिनी 1/2 हिस्से की खातेदार काबिज काश्तकार है ।

(ख) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 124 तादादी 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 तादादी 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 तादादी 8.55 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 376 तादादी 3.63 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर में पैतृक तौर पर वादिनी का 1/2 हिस्सा निहित है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर खाता विभाजन किया जाकर अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में तरमीम किए जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 4 को दिया जावे एवं अलग ही लगान कायम किया जावे ।

(ग) कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 124 तादादी 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 तादादी 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 तादादी 8.55 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 376 तादादी 3.63 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादिनी के कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी पैदा नहीं करें, ना कब्जा करें ना काश्त करे ना ही विधिवत रूप से विभाजन करवाये बिना वादगत खेतों को किसी को विक्रय, रहन, बैय दीगर तरीकें से मुन्तकिल करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें जिससे वादिनी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो ।

(घ) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो दिलवाकर वादिनी हो या दौराने दावा हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे ।

(ड़) कि खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:57:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से इकबाल जवाबदावा पेश किया। वादिनी की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 गौरा की मृत्यु दिनांक 04.02.2024 होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सीपीसी पर अपनी अनापति पेश किये जाने के कारण वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तदनुसार संशोधित वाद पेश करनें की अनुमति प्रदान की गई। वादिनी अधिवक्ता द्वारा संशोधित वाद पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जवाबदावा पेश नही किये जाने का कथन किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 5 को जवाबदावा पेश करनें का अवसर बन्द किया गया। तनकीयात कायम की जाकर व्याख्या की गई। उभयपक्षकारान द्वारा कायम तनकीयात पर अपनी अनापति पेश की गई। वादिनी की ओर से PW-1 में सुखी का शपथ पत्र पेश किया गया। PW-1 सुखी के बयान लेखबद्ध किये गये। वादिनी की ओर से दस्तावेज 1 से 23 प्रदर्श करवायें गये। प्रतिवादीगण अधिवक्ता को जिरह का अवसर प्रदान किया। प्रतिवादीगण की ओर से जिरह शून्य।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा कायम की गई तनकीयात पर अपनी सहमति प्रदान की गई। लिहाजा तनकी संख्या 1 ता 3 वादिनी के पक्ष में निर्णित की जाती है। वादिनी एवं प्रतिवादीगण को राजीनामें से वाद को स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादिनी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 124 तादादी 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 तादादी 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 तादादी 8.55 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 376 तादादी 3.63 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर में पैतृक तौर पर वादिनी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर खाता विभाजन किया जाकर अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में तरमीम कर विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करतें हुए वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 के आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए तहसीलदार श्रीडूंगरगढ विभाजन प्रस्ताव पेश करें। प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 124 तादादी 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 तादादी 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 तादादी 8.55 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 376 तादादी 3.63 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादिनी के कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी पैदा नहीं करें, ना कब्जा करें ना काश्त करे ना ही विधिवत रूप से विभाजन करवाये बिना वादगत खेतों को किसी को विक्रय, रहन, बैय दीगर तरीके से मुन्तकिल करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें जिससे वादिनी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो । हर्जा खर्चा वादिनी एवं प्रतिवादीगण अपना अपना वहन करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 28.4.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:57:55 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

1. सुखी पुत्री गौरां पत्नी स्व. लालूराम जाति मेघवाल निवासिनी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादिनी—

बनाम

1. स्व. गौरा पत्नी स्व. लालूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. रामू
3. हड़मान | पुत्रगण नारायण जाति मेघवाल निवासीगण मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
4. राजस्थान सरकार जारय तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़।

—प्रतिवादीगण—

मुकदमा नम्बर 145/2023
दावा बाबतः— घोषणात्मक, खाता विभाजन , चिरनिषेधाज्ञा
निर्णय दिनाकः 28.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत वहाजरी श्री साजिद खान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी के संख्या 1 ता 3 मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 124 तादादी 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 तादादी 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 तादादी 8.55 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 376 तादादी 3.63 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर में पैतृक तौर पर वादिनी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर खाता विभाजन किया जाकर अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में तरमीम कर विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करतें हुए वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 के आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए तहसीलदार श्रीडूंगरगढ विभाजन प्रस्ताव पेश करें। प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 124 तादादी 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 तादादी 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 तादादी 8.55 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 376 तादादी 3.63 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादिनी के कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी पैदा नहीं करें, ना कब्जा करें ना काश्त करे ना ही विधिवत रूप से विभाजन करवाये बिना वादगत खेतों को किसी को विक्रय, रहन, बैय दीगर तरीके से मुन्तकिल करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें जिससे वादिनी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो । हर्जा खर्चा वादिनी एवं प्रतिवादीगण अपना अपना वहन करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 28 माह 04 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:57:55 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	100	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	100	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:57:55 IST
Reason: SelfAttested